

2020/00186

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
3/20	136 L.R.A	मोजपुर	झाडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मेना	बनाम	राज. झपा	

वकील :- मशफाजुल्लाह चौधुरी

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

15/3/20

अभिजातक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 L.R.A Act के तहत उक्त न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया प्रकरण दर्ज सजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगत के जरिये अम्मान तलब कर पत्रावली दिनांक 20/4/2020 को पेश हो।

15/6/20

कोशिका संख्या 20/1/2020  
अजमेरीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 8/7/20 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

26/9/20

कोशिका संख्या 20/1/2020  
अजमेरीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 9/9/20 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

2/1/20

कोशिका संख्या 20/1/2020  
अजमेरीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 2/1/20 को पेश हो।


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)



पायाग गयी तथा सहकारिता १९९२ जमानेवाला पुत्र  
नंदलाल के वमान लिए गए। इनके वमानों के  
आधार पर भी प्राप्ति के सम्प्रसाद पुत्रोंका एवं नैना  
पुत्र नंदा दोनों नामों से जाना जाता है। तथा दोनों  
नाम एक ही व्यक्ति के है।

अतः सम्प्रसाद पुत्र नंदा के स्थान पर नैना  
पुत्र नंदा दर्ज किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

मुताबिक परवारी, रिजोर्ट भू. अफि. निरी.  
एवं तहसीलदार इकडा की अनुशंसा के आधार  
पर प्राप्ति सम्प्रसाद पुत्र नंदा के स्थान पर नैना सम्प्रसाद  
पुत्र नंदा दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार इकडा  
को दिये जाते है तदुसार पालना सुनिश्चित करें।  
आदेश प्रकाश से जारी है। प्रवावली फैसल शुमार  
हाकर दारिजल दफतर है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा, जिला बारा (राज०)

# “प्रशासन गोंव के संग अभियान-2021”

आयालय उपखण्ड अधिकारी ..... जिला बारां ..... राज. 0

## -: आदेश :-

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... व यू.अ.नि. .... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बारां/नायब तहसीलदार बारां की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... तहसील बारां जिला बारां की जमाबन्दी सम्यत् ..... में खाता संख्या ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	भोजपुर	13	मेजा श्री रामप्रसाद पुत्र नंदा	मेजा श्री रामप्रसाद पुत्र नंदा



(मनीषा तिवारी)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा, जिला बारां (राज. 0)

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/2021/के.प.के.आ.पर/210

दिनांक 15/11/21

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(मनीषा तिवारी)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा, जिला बारां (राज. 0)